

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -37/2013/उदयपुर

मैसर्स विशाल फिलिंग स्टेशन, प्रतापनगर, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'सी', उदयपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 19.09.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) की धारा 82 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम RVAT Act., 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा) R/w 84 राजस्थान बिक्री अधिनियम, 1994 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.10.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी पर वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सी, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2007-08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.07.2009 को पारित कर रुपये 17,972/- की मांग सृजित की गई जिसमें उक्त अवधि की चारों त्रैमासिक रिटर्न विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण 17,871/-रुपये की शास्ति भी सम्मिलित है। उक्त आदेश दिनांकित 17.07.2009 में अधिरोपित शास्ति राशि 17,871/-रुपये को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2010 को आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि. में पारित निर्णय के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2011 को आदेश पारित कर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत अधिरोपित शास्ति राशि 17,871/- रुपये यथावत कायम रखा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

Amal Kumar
19/09/16

पारित उक्त आदेश दिनांक 09.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांकित 12.10.2012 द्वारा खारिज कर आदेश दिनांकित 09.11.2011 की पुष्टि की गई। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.10.2012 से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के लेखाकार के अचानक कार्य छोड़ने से हुई अव्यवस्था के कारण विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है तथा व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 में वार्षिक कर दायित्व रूपये 20,000/- से कम होने के कारण वह मासिक करदाता नहीं है, इसलिए वर्ष 2007-08 की चारों त्रैमासिक रिटर्न विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण 17,871/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, वह विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थी पर उक्त आलौच्य अवधि के त्रैमासिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से जमा होने के कारण वेत अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अधिकतम शास्ति रूपये 500/- अधिरोपित की जा सकती है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के विरुद्ध वेत अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त तर्कों के परिपेक्ष में अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस के दौरान यह कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2010 को आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि. में पारित निर्णय के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।
6. राजस्व के विद्वान उप अभिभाषक का बहस में आगे यह तर्क रहा है कि राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय CTO Jodhpur Vs. M/s Billara Cement Pvt. Ltd. Jodhpur Tax world vol. XIII Page 41 order date 20th February, 2010 में स्पष्ट उद्धृत किया है कि "इस सम्बन्ध में माननीय विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ के निर्णय (1990) 7 आर.टी.जे.एस.158 ए मैसर्स गांधी मशीनरी एण्ड

Handwritten signature
19/09/16

स्पेयर, झुंझुनू बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनू में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू किये जाने योग्य है। जिसमें माननीय विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी./सिविल रिट पीटिशन क्रमांक 1653 मैसर्स जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि. बनाम द यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये गये दिनांक 05.07.1982 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण कर प्रकरण में सूचना पत्र नियमानुसार जारी कर, शास्ति आरोपण में निर्धारण अधिकारी को स्वतंत्रता प्रदान की है।" माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 13.08.2010 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् ही शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश दिनांक 09.11.2011 को नये सिरे से पारित किया गया।

7. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006-07 में व्यवसायी का करदायित्व रुपये 90,684/- है, जिससे व्यवसायी का मासिक कर जमा कराने व त्रैमासिक विवरण प्रपत्र पेश करने का दायित्व बनता है। अतः वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण आदेश में विवेचनानुसार विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत होने से मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रुपये 17,871/- अधिरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.2012 से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 09.11.2011 की पुष्टि करना विधि सम्मत है। इस प्रकार अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 के चारों त्रिमास की रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है:-

त्रैमास	नियत तिथि	प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब की अवधि	त्रैमास की कुल राशि	धारा 58/73 के अधीन शास्ति
1	2	3	4	5	6
प्रथम	30-07-2007	31-03-2009	610 दिन	27,579/-	5,516/-
द्वितीय	30-10-2007	31-03-2009	518 दिन	23,726/-	4,745/-
तृतीय	30-01-2008	31-03-2009	426 दिन	22,437/-	4,260/-
चतुर्थ	30-04-2008	31-03-2009	335 दिन	20,705/-	3,350/-
				कुल राशि	17,871/-


Am. Kumar
19/09/16

उपरोक्त चारों विवरण प्रपत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 23 के तहत किये गये कर निर्धारण में धारा 58 के तहत 17,871/-रूपये शास्ति अधिरोपित की गई। अतः यह तथ्य निर्विवादित है कि आलौच्य अवधि के चारों विवरण प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330 के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।
10. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2010 को आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. में पारित निर्णय के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी./सिविल रिट पीटिशन क्रमांक 1653 मैसर्स जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि. बनाम द यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये गये दिनांक 05.07.1982 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उसको नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 13.08.2010 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् ही शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश दिनांक 09.11.2011 को नये सिरे से पारित किया गया। अतः शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने की अपीलार्थी की आपत्ति निराधार एवं सारहीन है।

[Handwritten Signature]
19/09/16

11. अपीलार्थी व्यवहारी की यह आपत्ति भी रही है कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 में वार्षिक कर दायित्व रूपये 20,000/- से कम होने के कारण वह मासिक करदाता नहीं है, इसलिए वर्ष 2007-08 की चारों त्रैमासिक रिटर्न विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण 17,871/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, वह विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थी पर उक्त आलौच्य अवधि के त्रैमासिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से जमा होने के कारण वेत अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अधिकतम शास्ति रूपये 500/- अधिरोपित की जा सकती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-सी, उदयपुर द्वारा धारा 24(6) राजस्थान मूल्य परिवृद्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत पारित आदेश वर्ष 2007-08 आदेश दिनांक 09.01.2011 में शास्ति रूपये 17,871/- के विरुद्ध पेश की गई। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली में वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण आदेश के अवलोकन कर पाया कि व्यवसायी का आउटपुट टैक्स रूपये 90,684/- है, जो कि रूपये 20,000/-से अधिक है अर्थात् वर्ष 2006-07 की वार्षिक कर देयता 20,000/-रूपये से अधिक है। जबकि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2006-07 में वार्षिक करदेयता रूपये 20,000/-से कम होना बताया है, वह माने जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार वर्ष 2007-08 की चारों त्रैमासिक रिटर्न विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 17,871/- रूपये की शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की उक्त आपत्ति निराधार एवं सारहीन है।
12. अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 09.11.2011 को अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2012 द्वारा पुष्टि करने में कोई विधि त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के आलौच्य आदेश दिनांक 12.10.2012 की पुष्टि की जाती है।
13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
14. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य